रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012025-260256
CG-MH-E-15012025-260256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946
No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSHA 25, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जनवरी, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (पाँचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025

अधिसूचना सं. फेमा. 5 (आर)(5)/2025-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 5 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली) कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ: -

i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (पाँचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 5 के उप विनियम (4) के भीतर, "भारत में प्राधिकृत व्यापारी" शब्द के बाद "अथवा भारत के बाहर इसकी शाखा" अंतर्विष्ट किया जाएगा।

3. मूल विनियमावली में, विनियम 8 के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा: -

"9. प्रत्यावर्तनीय रुपया खातों के बीच निधियों का अंतरण: -

इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के अनुसरण में रखे गए प्रत्यावर्तनीय रुपया खातों के बीच सभी सदाशयी लेन-देनों के लिए निधियों के अंतरण की अनुमति है।"

4. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 में, मौजूदा पैराग्राफ 1 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, वह इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में, भारत में निवासी व्यक्ति के साथ अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत के बाहर उसकी शाखा में विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है।

स्पष्टीकरण: विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थित इकाई IFSC के बाहर अपने व्यापारिक लेनदेन के उद्देश्य से भारत में (IFSC के बाहर) स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ SNRR खाता खोल सकती है।"

5. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 के पैराग्राफ 2 में "भारतीय बैंक" शब्द को "बैंक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 के वर्तमान पैराग्राफ 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"एसएनआरआर खाते की अवधि अनुबंध की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के व्यवसाय की अवधि की समवर्ती होगी।

7. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 के पैराग्राफ 9, 11 और 12 के भीतर, "एसएनआरआर खाते" शब्दों के पहले "भारत में" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

8. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 के पैरा 13 के भीतर, "खाता धारक" शब्दों के बाद ", जिसका भारत में एसएनआरआर खाता हो," शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./895/2024-25]

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) जीएसआर संख्या 389 (ई), दिनांक 1 अप्रैल 2016 में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया, यथा: -

जीएसआर संख्या 1093(ई) दिनांक 09.11.2018

जीएसआर संख्या 498(ई) दिनांक 16.07.2019

अधिसूचना सं. फेमा 5(R)/(3)/2019-RB दिनांक 13 नवंबर, 2019

अधिसूचना सं. फेमा 5(R)/(4)/2024-RB दिनांक 06 मई, 2024

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2025

Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025

Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016

(Notification No. FEMA 5 (R) /2016-RB dated April 01, 2016) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:-

1. **Short Title and Commencement: -**

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, within sub-regulation (4), of regulation 5, after the words "authorised dealer in India" the words "or its branch outside India" shall be inserted.

3. In the principal regulations, after regulation 8, the following shall be inserted namely:-

"9.**Transfer of funds between repatriable Rupee accounts:-**

Notwithstanding anything contained in these regulations, the transfer of funds, for all bona fide transactions, between repatriable Rupee accounts maintained in accordance with these regulations is permitted."

4. In the principal regulations in schedule 4, the existing paragraph 1 shall be substituted by the following namely:-

"A person resident outside India, having business interest in India, may open a Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account), with an authorised dealer in India or its branch outside India for the purpose of putting through permissible current and capital account transactions with a person resident in India in accordance with the rules and regulations framed under the Act, and for putting through any transaction with a person resident outside India.

Explanation: A unit in an International Financial Services Centre (IFSC) under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 may open an SNRR account with an authorised dealer in India (outside IFSC) for its business related transactions outside IFSC."

5. In the principal regulations within paragraph 2 of schedule 4, the words "Indian bank" shall be substituted by "A bank".

6. In the principal regulations, in schedule 4, the existing paragraph 8 shall be substituted by the following namely:-

"The tenure of the SNRR account shall be concurrent to the tenure of the contract / period of operation / the business of the account holder."

7. In the principal regulations, within paragraphs 9, 11 and 12 of schedule 4, after the words "SNRR account" the words "in India" shall be inserted.

8. In the principal regulations, within paragraph 13 of schedule 4, after the words "account holder" the words "having the SNRR account in India" shall be inserted.

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./895/2024-25]

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated G.S.R. No. 389(E) dated April 1, 2016 and subsequently amended vide the following, namely,-

G.S.R. No. 1093(E) dated 09.11.2018

G.S.R. No. 498(E) dated 16.07.2019

Notification No. FEMA 5(R)/(3)/2019-RB dated November 13, 2019

Notification No. FEMA 5(R)/(4)/2024-RB dated May 06, 2024

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA